दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

449. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में दिल्ली शहर में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली के संघ क्षेत्र में 1966 के कलेन्डर वर्ष में 8347 और 1967 के कलेन्डर वर्ष में 1363 (28-2-67 तक) ।

(ख) 1966 के कलेन्डर वर्ष में 345 और 1967 के कलेन्डर वर्ष में 61 (28-2-67 तक) ।

बाड़मेर और जैसलमेर (राजस्थान) में सीमा सड़कें

450. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या परिवहन और नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने की एक योजना तैयार की थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने धन की व्यवस्था की गई थी और अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है तथा कब तक सड़कों के पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). संभवतः इस प्रश्न का सम्बन्ध राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण से है। इस निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। इन सड़कों के निर्माण के लिये 9·95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से फरवरी 1967 के अन्त तक 1·80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। धन की उपलब्धता होने पर इन निर्माण कार्यों के 1968-69 तक पूरा होने की संभावना है।

I.A.C. Bookings

451. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain complaints have been received by the Indian Airlines Corporation authorities regarding malpractices in the booking of passengers;

(b) if so, how many passengers lodged such complaints during the year 1966-67; and

(c) the action taken by the authorities to redress the grievances of the complaining passengers?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). 9 complaints were received during 1966-67

(c) Each complaint was investigated and corrective action taken wherever necessary

कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग

452. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों के बचाव के लिये इस समय कौन कौन सी कीटनाशी दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं ;

(ख) उनमें से देशीय कीटनाशी दवाइयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इनकी तैयार की गई मात्रा मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे):(क) निम्नलिखित वस्तुएं पौधों के बचाव के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं :—

I. कीट नाशक, कृन्तकनाशी औषधियां तथा निमेंटोसाइड्स

(i) कीटनाशक औषधियां :

(i) क्लोरिनेटिड कम्पाउन्ड्स बी एच सी, लिण्डेन, डी डी टी

(ii) साइक्लोडीन कम्पाउन्ड्स एण्डरिन, एल्डरिन, डीलड्रिन, क्लोरोडेन, हैप्टेक्लर

(iii) फास्फेटिक कम्पाउन्ड्स · पैराथियन, मालाथियन, डेमेटोन, डाइमथियोएट फास्फेमिडोन, ट्रिथियोन, थियोमिटोन, फोरेट, थियोडन, डाइजीनन इत्यादि।

(iv) कार्बामेट्स : कारबरियल

(v) बोटानिकल. पाइरिथरम, निकोटाइन-सल्फेट

(vi) फुमिगेन्ट्स : मेथाइल ब्रोमाईड, ईडी/सीटी, एलोमिनियम फास्फाइड

(2) कृन्तकनाशी : जिन्क फास्फाइड, कैल्शियम साइनाईड तथा कुमारिन कम्पान्उड्स

(3) नीमेंटीसाइड्स : डी डी, नेमागन तथा ईडीबी

II. कवकनाशी औषधियां :

(i) सल्फर . (बुरकने तथा छिड़कने योग्य)

(ii) कापर : कापर सल्फेट तथा कापर ओक्सीक्लोराइड

(iii) थियोकार्बामेट्स : जिनेब तथा थीरम

(iv) सीड-ड्रेसर्स : आर्गेनो-मरकूरियल्स तथा आर्गेनिक सीड ड्रेसर्ज (थीरम तथा कैपटन)

(v) एन्टी बायोटिक्स . औरोफन-गिन तथा स्ट्रेप्टोसाइकलन

III. वी डी साइड्स . 2, 4-डी, 2, 4, 5-टी, एम सी पी ए, एम सी पी बी, पैराक्वट, पी सी पी, प्रोपानिल, साइमाजिन्क, टी सी ए

(ख) नाम नीचे दिए गए हैं :—

I कीटनाशक तथा कृन्तकनाशी औषधियां :—

(i) क्लोरिनेटिड कम्पाउन्ड्स : बी एच सी, डी डी टी

(ii) फास्फेटिक कम्पाउन्ड्स पैराथियन, मालाथियन तथा डाइमथियोएट

(iii) वनस्पति संबंधी : पाइरे-थरम तथा निकोटाइन-सल्फेट

(iv) धमक : मिथाइल ब्रोमाइड, ई डी/सी टी

(v) कृन्तकनाशी औषधियां : जिन्क फास्फाइड तथा कुमा-रिन कम्पाउन्ड्स

II कवकनाशी :

(i) सल्फर . (बुरकने तथा छिड़कने के योग्य)

(ii) कापर : कापर सल्फेट तथा कापर ओक्सीक्लोक्लोराइड

(iii) थियोकार्बामेट्स · जिनेब तथा जिरम

( ) सीड ड्रेसर्ज : आर्गेनो-मरकूरियल्स तथा आर्गेनिक सीड-ड्रेसर्ज (थीरम)

(v) एन्टी बायोटिक्स : औरियो-फनगिन तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लीन

III कीटनाशक : 2, 4-डी, 2, 4, 5-टी

नोट :—बी एच सी तथा डी डी टी की कच्ची सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्ध है। फिर भी शेष के लिए कुछ कच्ची सामग्री आयात की जाती है ।

(ग) देश में निर्मित कीटनाशक औषधियों में से बी एच सी, फौसफेटिक कम्पाउन्ड्स तथा बोडी साइड्स को छोड़ कर सभी कीटनाशक औषधियों की मांग पूरी करना सम्भव है। फिर भी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे पूर्ववर्ती औषधियों की मांग भी पूरी की जा सके ।

Writing of Introduction to Election Procedure Pamphlet

453. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of Law be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madhya Pradesh wrote an introduction to the election procedure pamphlet/publication of the Chief Electoral Officer of the M.P State,

(b) if so, whether any action has been taken against the Chief Minister and or the State Chief Electoral Officer for this act of impropriety, and

(c) if not, the reasons for not taking action?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan): (a) and (b) The following is an English translation of the "message" (in Hindi) contributed by the Chief Minister of Madhya Pradesh to the "Instructions to Presiding Officers" issued by the Chief Electoral Officer of the State

"In the ensuing general election going to be held in February, 1967, you have to perform an important task as a Presiding Officer at the polling station. Every officer at the polling station should perform his duties quite impartially and diligently as the fair conduct of elections is the supreme necessity of a healthy democracy.

The tradition maintained by the Election Department of Madhya Pradesh in its efficiency is well known. I am confident, you will fully maintain that tradition. I, on behalf of the Madhya Pradesh Administration, expect this from you."

The above message shows that it is just an exhortation to the Presiding Officers to be efficient and impartial in performing their duties and there appears to be no "impropriety" in it

In fact, a similar message from the then Chief Minister (Dr. K. N. Katju) figured in the Instructions issued in 1961.

(c) Does not arise.

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल

454. श्री राम स्वरूप :
श्री यंशा नारायण सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में गगा नदी पर एक पुल बनाने की योजना पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये गंगा नदी पर पुल की व्यवस्था और आबंटन के सभी प्रश्न पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विचार विनिमय हो रहा है ।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त (क) में दिये हुए उत्तर के कारण (ख) और (ग) के प्रश्न नहीं उठते ।